

## लोकसुनवाई का वृत्त।

श्री अरविंद कुमार, पिता- श्री शिव नारायण प्रसाद गुप्ता, पता-13 पूर्व पाली, डेहरी ऑन सोन, जिला-रोहतास द्वारा सोन-12 बालूघाट मौजा-भुसाहुला और चैनपुर, प्रखंड-डेहरी, जिला-रोहतास के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत दिनांक 16.06.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय डेहरी, डेहरी, जिला-रोहतास में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं०-एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2261/2023, dated 31.01.2023 के आलोक में श्री संजय कुमार सिन्हा, अपर समहर्ता, रोहतास (जिला पदाधिकारी, रोहतास के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद, द्वारा दिनांक 16.06.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय डेहरी, डेहरी, जिला-रोहतास में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 11.05.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद, पटना द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री रवि रंजन कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा। वाहनों पर ओवर लोडिंग नहीं की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू-जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (890 नं०) का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sustainable Sand Mining Management

Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः है:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री हरिशंकर प्रसाद सिंह, भरपुड़िया, जिला-रोहतास।	इनके द्वारा बताया गया कि बालू लदे वाहन में अश्लील गाना बजाया जाता है। बालू सड़क पर गिरने से दूर्घटना होती है, अतः उसे जे.सी.बी. से हटा दिया जाय। बालू खनन ज्यादा होने से जल-स्तर नीचे चल जाता है। बालू खनन 03 मी0 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
2.	श्री अरुण कुमार गुप्ता, ग्राम-डेहरी, जिला-रोहतास।	इनके द्वारा बताया गया कि इस क्षेत्र में ओभर लोडिंग से दिक्कत है। ट्रक-ट्रेक्टर चलने से धूल उड़ता है एवं सड़क पर बालू जमा हो जाता है। सड़क पर पानी का छिड़काव दिन में 2 बार किया जाय। बालू से लदा गाड़ी तिरपाल से ढककर ले जाया जाय। ओभर लोडिंग नहीं किया जाय।
3.	श्री अरुण कुमार, ग्राम-चैनपुर, जिला-रोहतास।	इनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन होने से उत्पन्न समस्या को दूर करने के लिए आवंटन राशि का उपयोग होता है। सड़क पर कहीं जल छिड़काव दिन में 1 बार किया जाता है तो कभी 02 बार किया जाता है और अधिक जल छिड़काव किया जाय। खनन स्थल पर मजदूरों के लिए नलकूप की व्यवस्था की जाय।
4.	श्री धनोज कुमार सिंह, ग्राम-चैनपुर, जिला-रोहतास।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि गति सीमा गाड़ी का निर्धारित हो। गाड़ी को तिरपाल से ढककर ले जाया जाय। ओभर लोडिंग नहीं किया जाय। सड़क पर जल छिड़काव किया जाय।
5.	श्री छोटे लाल सिंह, बेरकप, जिला-रोहतास।	इनके द्वारा बताया गया कि मुख्य सड़क पर बालू लदे ट्रक से ट्रैफिक जाम हो जाता है। इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू घाट के अंदर ही ट्रक लगाया जाय।
6.	श्री राजा राम सिंह, पाली डेहरी, जिला-रोहतास।	इनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा अभी भी घाट का संचालन किया जा रहा है। जल-छिड़काव के लिए 3 टैंकर है। वाहन के टायर के धुलाई का व्यवस्था है। उनके द्वारा बताया गया कि स्थानीय लोग नदी के अंदर खेती करते हैं। नापी में आने पर भी खेत खाली



	नहीं किया जाता है।
--	--------------------

सुनवाई के क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डिहरी, राजस्व अधिकारी, डिहरी तथा जिला खनन पदाधिकारी श्री कार्तिक कुमार भी उपस्थित अपने-अपने विचार रखे :-

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने चर्चा में भाग लेते हुए बालु परिवहन के दौरान आम तौर होने वाली समस्याओं यथा वायु प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण एवं ट्रेफिक जाम इत्यादि के बिन्दु पर ध्यान आकृष्ट करते हुए इस बात पर बल प्रदान किया गया कि खनन के दौरान एवं खनन उपरान्त सरकार के द्वारा निर्धारित मापदण्ड का कड़ाई से अनुपालन एवं सतत् निगरानी रखा जाना आवश्यक है।

चर्चा के क्रम में जिला खनन कार्यालय के तरफ से उपस्थित श्री कार्तिक कुमार, खनन पदाधिकारी ने खनन कार्य हेतु सरकार के द्वारा निर्धारित मापदण्डों की संक्षिप्त चर्चा करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप ही कार्रवाई अनुमान्य है, जिसे सुनिश्चित कराया जाएगा।

चर्चा के क्रम में अध्यक्ष के द्वारा मुख्य रूप से परियोजना तथा परियोजना के आलोक में सरकार के द्वारा इस 'जन सुनवाई' के पीछे के निहित उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया गया कि संतुलित विकास सरकार का मुख्य लक्ष्य है। सरकार दृढ़ संकल्पित है कि विकास से पर्यावरण संतुलन एवं आम-जनो की स्वास्थ्य आदि सुविधाओ पर प्रतिकूल असर नहीं पड़े और इसी उद्देश्य से सरकार के द्वारा इस जन सुनवाई का प्रावधान किया गया है। सरकार इस बात को मानती है कि आम जन अपने हितो को बेहतर समझते है और किसी परियोजना के वास्तविक परिचालन हेतु आम जन का पक्ष जानना, उनकी चिन्ताओं/शंकाओं का समाधान करना, उनके सुझावों का नियमानुसार परियोजना परिचालन के क्रम में अंगीकृत करना ही इस सुनवाई का लक्ष्य है।


उनके द्वारा रेखांकित किया गया कि परियोजना के सरकार के मानको/निर्धारित मापदण्डों का अनुपालन तथा सतत् अनुश्रवण किया जाना परियोजना के द्वारा अपेक्षित है। उनके द्वारा इस बात को पुनः रेखांकित किया गया कि खनन कार्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों यथा घाटों के दोनो तटो पर निर्धारित क्षेत्र को छोड़कर ही खनन करने, खनन के क्रम में नियमानुसार सतह से तीन मीटर की अधिसीमा का अनुपालन करने, खनन क्षेत्र से मुख्य सड़क पर बालु के परिचालन हेतु Haul रोड का निर्माण करने, परिचालन के क्रम में संभावित वायु-प्रदूषण को रोकने हेतु नियमानुसार स्थल पर लगातार पानी छिड़काव करने, परिचालन स्थल के दोनो ओर अवस्थित पौधो/फसलों में सरकार के नियमानुसार पानी छिड़काव करने, पर्यावरण सतुलन हेतु खनन क्षेत्र के आसपास वृक्षारोपन करने, श्रमिको को कार्य करने हेतु पर्याप्त प्रशिक्षण देने एवं कार्य स्थल पर मानक के अनुरूप अनुमान्य सुविधा उपलब्ध कराने, नियमानुसार पर्यावरण अंकेक्षण एवं निगरानी रखने, नियमानुसार परिचालन में व्यवहृत किये जाने वाले वाहनों को परिवहन विभाग के निदेशानुसार अनुमान्य क्षमतानुसार ही परिचालन आदि किये जाने की आवश्यकता को पुनः रेखांकित करते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि परियोजना के संचालक, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं सभी सक्षम प्राधिकार सरकारी मापदण्डों का दृढतापूर्वक अनुपालन करेंगे तथा अनुपालन की सतत् निगरानी एवं अंकेक्षण भी सुनिश्चित करेंगे।


परियोजना स्थल से विद्यालय एवं अस्पताल की दूरी के दृष्टिगत अध्यक्ष द्वारा अनुरोध किया गया कि वे विद्यालय में CER (Corporate Environmental Responsibility) के अन्तर्गत अपने स्तर पर AIR-PURIFIER लगाने की संभावना पर विचार करे।

अध्यक्ष द्वारा चर्चा के क्रम में परियोजना में पर्यावरण की रक्षा के लिए की जाने वाली शमनकारी उपयोग हेतु पूंजी लागत एवं आवर्ती लागत की कर्णांकित राशि में बढ़ोतरी करने की गुंजाइश देखते हुए इसमें वृद्धि करने हेतु विचार करने का सुझाव दिया गया।

सुनवाई में उपस्थित प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि एवं परियोजना के पर्यावरणीय, सलाहकार के द्वारा आश्वस्त किया गया कि कि परियोजना को सरकार के निर्धारित मापदण्डों/नियमों के अनुसार ही संचालित होगी और आम जनों को इससे किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई/असुविधा नहीं होगी।

जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

  
क्षेत्रीय पदाधिकारी  
बि.रा.प्र.नि.पर्वद, पटना

  
अपर समहर्ता ✓  
रोहतास

श्री अरविंद कुमार, पिता-श्री शिव नारायण प्रसाद गुप्ता द्वारा रोहतास सोन -12 बालू घाट, मौजा-भुसाहुला और चैनपुर, अंचल-डेहरी, जिला-रोहतास में आयोजित लोक-सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

स्थान- अंचल कार्यालय डेहरी, डेहरी, दिनांक: 16.06.2023 समय-11:00 A.M.

क्र.स.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	अजय कुमार	ABM, DEHRU	
2.	आशीष कुमार गुप्ता	आशीष-पदाधिकारी, वि. 1000 वि. पद 422	16-6-23
3.	Ka-tik. Kumar	D. M. O. Roha	16/6/23
4.	Purnashotam Singh	BDO. Dehri	16/06/23
5.	SNEHA	REVENUE OFFICER, DEHRI	16/6/23
6.	विष्णु कुमार	विष्णु कुमार Rimuro Patin	
7.	विदेहसोनी	विदेह	
8.	Nand Kumar Singh	Baron Bigha (Berkap)	Nand Kumar Singh
9.	हरि शंकर सोनी	हरि शंकर सोनी	हरि शंकर सोनी
10.	Rajabans Singh	pali. Dehri	Rajabans Singh
11.	अ. वि. गुप्त	अ. वि. गुप्त	अ. वि. गुप्त
12.	Kamesh Kumar	कामेश	कामेश
13.	Raju Kumar	Dehri	Raju Singh
14.	Ajay Kumar	अजय	Ajay Kumar
15.	UPAPPU	डेहरी	PAPPU
16.	जितेंद्र सिंह	डेहरी	जितेंद्र सिंह
17.	मुनेश्वर सिंह	देहरादून	मुनेश्वर सिंह
18.	अरुण गुप्ता	डेहरी	अरुण गुप्ता



19.	पंकज सिंह	बैरकप	P. Phalraj
20.	मनोज सिंह	बैरकप	Manoj Singh
21.	मन्जी सिंह	बैरकप	Manji Singh
22.	पानो जे ठासिंह	चैनपुर	पानो जे ठासिंह
23.	उत्तम कुमार	चैनपुर	
24.	मुन्ना कुमार	चैनपुर	
25.	खोश कुमार सिंह	चैनपुर	
26.	गणेश	Pali	
27.	Prabhat Singh	Pali	Prabhat Singh
28.	Vikesh Kumar	Berkap	Vikesh Kumar
29.	Rooshan Kumar	Berkap	Rooshan Kumar
30.	बोशुत कुमार	Berkap	Rooshan Kumar
31.	Doshanath Kumar	Berkap	
32.	रिशी कुमार	बैरकप	
33.	दीपक कुमार	बैरकप	
34.	जय प्रकाश सिंह	चैनपुर	
35.	अजय कुमार	बैरकप	
36.	बालू सिंह	बैरकप	
37.	धर्मेश्वर प्रसाद	बैरकप	
38.	Rishi Kumar	Berkap	
39.	Pradeep Kumar	Bhusavli	
40.	Bihari Kumar	Bhusavli	

41.	अमित	वेरकप	Amey
42.	Rohit	वेरकप	
43.	Diheep Kumar	वेरकप	Diheep Kumar
44.	Vikash Kumar	दुरका	Vikash Kumar
45.	मधुसूदन सिंह	वेरकप	MJ
46.	पञ्च सिंह	वेरकप	PACHW
47.	पञ्च कुमार	वेरकप	Pan
48.	मनु	वेरकप	Manu
49.	राज कुमार	वेरकप	Raj
50.	मालविका सिंह	गंगोली	L. B. Singh
51.	सुरेश कुमार	HURKA	Suresh Kumar
52.	Vishal Kumar	BERKAP	Vishal Kumar
53.	दीपे माल सिंह	वेरकप	दीपे माल सिंह
54.	चिंतन कुमार	दुरका	चिंतन कुमार
55.	गुड्डू कुमार	दुरका	गुड्डू कुमार
56.	राज सिंह	दुरका	राज सिंह
57.	कर्मण्ड कुमार	दुरका	कर्मण्ड कुमार
58.	शमलखन सिंह	वेरकप	शमलखन सिंह
59.	सतल सिंह	वेरकप	सतल सिंह
60.	राजेश कुमार	वेरकप	राजेश कुमार
61.	रवि रंजन कुमार	Manager Environment	Ravi 6/06/2023
62.			